

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर 302005

फोन नः 0141-2228066, फैक्स नः 0141-2228065

ई-मेल : rmsc@nic.in

CIN:U24232RJ2011SGC035067

Website: www.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2019-20/1220

दिनांक : 09.10.2019

कार्यालय आदेश

M/s Saar Biotech, NH-21A, Bhud, Baddi, Distt. Solan (H.P.)-173205 की निविदा क्रमांक F.02(229)/ RMSCL/PROCUREMENT/DRUG/NIB-09/2017/898 दिनांक 31.07.2017 के तहत औषधि Domperidone Suspension IP 5mg/5ml[266] की दरों के न्यूनतम होने के कारण अनुमोदित कर दर अनुबन्ध किया गया था। दर अनुबन्ध के आधार पर फर्म को उक्त औषधि सप्लाय करने हेतु क्रय आदेश क्रमांक 2059 दिनांक 04.10.2018 जारी किया गया था।

उक्त क्रय आदेश की पालना में सप्लाय की गयी औषधि को आरएमएससी की पंजीकृत प्रयोगशाला द्वारा टेस्ट कराये जाने पर औषधि के 04 बैच को अमानक कोटि का घोषित किया गया।

आरएमएससी की गुणवत्ता नीति के अनुसार नमूने को पुनः जाँच हेतु अन्य पंजीकृत प्रयोगशाला में भेजा गया, जिसमें औषधि के 04 बैचों को पुनः अमानक कोटि के पाये जाने की पुष्टि हुई। तत्पश्चात निर्णयानुसार उक्त 04 बैच की Govt. Drug Testing Laboratory Jaipur से प्राप्त रिपोर्ट में उक्त औषधि के 02 बैच (RJ332, RJ330) को Assay and Microbial Contamination में अमानक कोटि का घोषित किया गया तथा 02 बैच (RJ329, RJ334) को Microbial Contamination में अमानक कोटि का घोषित किया गया। इस संबंध में निर्माता फर्म को नोटिस दिया जाकर स्पष्टीकरण मांगा गया कि क्यों न आपकी फर्म की उक्त औषधि को निविदा शर्तों के अनुसार डिबार कर दिया जाये ?

Govt. Drug Testing Laboratory Jaipur से उक्त 04 बैच की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण को अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 30.09.2019 को आयोजित की गई, में रखा गया। फर्म को सुनवाई के लिये अवसर दिया गया जिसमें फर्म की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि को सुना गया। Govt. Drug Testing Laboratory Jaipur ने औषधि के उक्त 04 बैच को अमानक कोटि का घोषित किया है। फर्म द्वारा अमानक कोटि की औषधि आपूर्ति की गई है जो कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के प्रावधानों के तहत Not of Standard Quality के साथ-साथ Minor Defects and Grossly Substandard की श्रेणी में परिभाषित हैं।

निविदा की शर्त संख्या 19(3) के उल्लंघन के दोषी होने के कारण विवर्जित दिशा-निर्देशो (Guidelines for Blacklisting/Debaring) के सम्बन्ध में जारी निर्देश क्रमांक F.5/RMSC/QC/Test/2018-19/952 दिनांक 28.08.2018 के क्लॉज 4.6(2) के तहत निगम की अनुशासनात्मक समिति की अनुशंसा के आधार पर निर्माता फर्म M/s Saar Biotech, NH-21A, Bhud, Baddi, Distt. Solan (H.P.)-173205 की औषधि Domperidone Suspension IP 5mg/5ml[266] को यह आदेश जारी करने की तिथि से 02 (दो) वर्ष के लिए डिबार (Debar) किया जाता है। उपरोक्त कार्यवाही पूर्व में जारी किये गये क्रयदेश/क्रय की गई अथवा रिप्लेसमेन्ट शुदा प्रश्नगत औषधि, जो गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप पाई जाती हैं, पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले की गई है।

(सुरेश चन्द गुप्ता)
प्रबन्ध निदेशक

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना



॥ सर्वे सन्तु निरामयाः ॥
(Government of Rajasthan undertaking)

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2019-20/1220

दिनांक : 09.10.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर, राजस्थान ।
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश ।
4. मिशन निदेशक, एन.एच.एम. जयपुर, राजस्थान ।
5. निदेशक, पी.एच/आर.सी.एच./एच.ए/ए.आई.डी.एस./एम.एस.यू/आई.ई.सी, चिकित्सा एवं स्वा. निदेशालय, राजस्थान, जयपुर ।
6. औषधि महानियंत्रक, भारत, नई दिल्ली ।
7. औषधि नियंत्रक, राजस्थान/ औषधि नियंत्रक, हिमाचल प्रदेश ।
8. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी. ।
9. विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी. ।
10. कार्यकारी निदेशक (प्रोक्योरमेन्ट)/वित्त/एल/ई.पी.एम एवं ए.जी.एम.(आई.टी) आर.एम.एस.सी. ।
11. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार, राजस्थान ।
12. समस्त चिकित्सा सेवा निगम, गुजरात/केरल/तमिलनाडु/बिहार/छत्तीसगढ़/पश्चिम बंगाल/कर्नाटक/हरियाणा/मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र/जम्मू कश्मीर ।
13. M/s Saar Biotech, NH-21A, Bhud, Baddi, Distt. Solan (H.P.)-173205
14. आदेश पत्रावली ।

कार्यकारी निदेशक (क्यू.सी.)